

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 81
TO BE ANSWERED ON THE 3RD DECEMBER, 2024**

FUNDS RELEASED TO REGIONAL CANCER CENTRES

81 SHRI M. SHANMUGAM:

Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state:

- (a) the year-wise and Centre-wise details of funds released to Regional Cancer Centres under Health Minister's Cancer Patient Fund (HMCPF) and other schemes for the last three years;
- (b) whether any public awareness campaign is launched for prevention and early treatment of cancer so that many patients can be cured timely, if so, the details thereof; and
- (c) whether any steps have been taken for ensuring availability of cancer treatment medicines including procedures at reasonable price, affordable to common people, if so, the details thereof?

**ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SHRI JAGAT PRAKASH NADDA)**

- (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 81 * FOR 3RD DECEMBER, 2024**

(a) The Ministry of Health and Family Welfare provides one-time financial assistance upto Rs.15 lakh for treatment of poor patients living below threshold poverty line and suffering from cancer through Health Minister's Cancer Patient Fund (HMCPF) which is a component of the Umbrella Scheme of Rashtriya Arogya Nidhi (RAN). The financial assistance is provided for treatment of the patients at Regional Cancer Centres (RCCs) / Tertiary Care Cancer Centres (TCCC), State Cancer Institutes (SCI) and other Government hospitals/institutes having cancer treatment facilities.

The year-wise and Centre-wise details of funds released for the treatment of poor patients to Regional Cancer Centres under HMCPF component of the Umbrella Scheme of RAN are at **Annexure - I**.

The Central Government also implements the Strengthening of Tertiary Cancer Care Centers Facilities Scheme under National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases in order to enhance the facilities for cancer care at tertiary level. Under this scheme, 19 State Cancer Institutes (SCIs) and 20 Tertiary Cancer Care Centers (TCCCs) have been approved. The status of funds released during the last three years is at **Annexure - II**.

(b) Measures taken by Government to create awareness are as follows:

The Department of Health and Family Welfare, Government of India, provides technical and financial support to the States and Union Territories under the National Programme for Prevention and Control of Non Communicable Diseases (NP-NCD) as part of National Health Mission (NHM). The programme focusses

on strengthening infrastructure, human resource development, early diagnosis, referral to an appropriate level of healthcare facility for treatment and management and health promotion and awareness generation for prevention, of Non-Communicable Diseases (NCDs) including three common cancer (breast cancer, cervical cancer and oral cancer).

A population-based initiative for screening, management and prevention of common NCDs including three common cancer (breast cancer, cervical cancer and oral cancer) has been rolled out as a part of comprehensive Primary Health Care in the country under NHM. Screening of these common NCDs is an integral part of service delivery. Further initiatives for increasing public awareness about NCDs including cancer and for promotion of healthy lifestyle include observation of National Cancer Awareness day, use of print, electronic and social media for continued community awareness. NP-NCD gives financial support under NHM for awareness generation activities for non-communicable diseases to be undertaken by the States/UTs as per their Programme Implementation Plans (PIPs).

Healthy eating is promoted through Eat Right India movement of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). Fit India movement is implemented by Ministry of Youth Affairs and Sports, and various Yoga related activities are carried out by Ministry of AYUSH.

(c) National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) fixes the ceiling price of the scheduled medicines specified in the first schedule of the Drugs (Price Control) Order, 2013. All manufacturers of scheduled medicines (branded or generic) have to sell their products within the ceiling price (plus applicable Goods and Services Tax) fixed by the NPPA. Further, as per the provisions of DPCO, 2013, the ceiling prices of scheduled medicines are revised annually on the basis of Wholesale Price

Index (WPI). In case of non-scheduled formulations, a manufacturer is at the liberty to fix the maximum retail price of a non-scheduled formulation, branded or generic, launched by it. However, as per the provisions of the DPCO, 2013, the manufacturers of non-scheduled formulations are not allowed to increase the maximum retail price of such formulations by more than 10% per annum.

NPPA has fixed the ceiling prices of 131 anti-cancer scheduled formulations included in Schedule I of DPCO, 2013 under National List of Essential Medicines (NLEM) 2015 and 2022, out of which ceiling prices of 120 formulations are fixed under NLEM 2022 (including newly added formulations like Bendamustine hydrochloride Injection 100mg, Lenalidomide Capsule 25mg and 5mg, etc.). This has resulted in the reduction of around 21.06% from the existing ceiling price under NLEM 2015, leading to annual savings of around Rs. 294.34 Crore to the patients.

NPPA has also fixed retail price of 28 Anti-Cancer formulations as on 28.11.2024 that are applicable to the applicant manufacturing and marketing company.

Further, NPPA vide order S.O. 1041 (E) dated 27th February, 2019 put a cap of 30% Trade Margin on 42 selected non-scheduled anti-cancer medicines under 'Trade Margin Rationalization' approach. By this approach, the Maximum Retail Price (MRP) of 526 brands of these medicines were reduced by up to 90%. This resulted in annual savings of around Rs. 984 Crore to the patients.

Also, Department of Revenue, Ministry of Finance has reduced the Customs Duty to Nil and GST rates from 12% to 5% for the three anti-cancer drugs namely, Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib, and Durvalumab vide Notification 30/2024 dated 23.07.2024 (Sr. No III (iv)) and Notification no. 05/2024 dated 08.10.2024 respectively. Accordingly, OM dated 28.10.2024 has been issued by NPPA

directing companies to reduce MRP on account of reduction in GST rates and exemption from Custom Duties to pass on the benefit of reduced taxes and duties to consumers.

As per the Para 20 of DPCO, 2013, NPPA also monitors the MRPs of all the non-scheduled formulations including anti-cancer formulations so as to ensure that no manufacturer increases the MRP of a drug by more than 10% of the MRP during the preceding 12 months. Instances of overcharging are dealt with by NPPA under the relevant provisions of DPCO, 2013.

All price notifications for the formulations of which prices have been fixed by NPPA are available on NPPA web-site www.nppaindia.nic.in.

Further, treatment for cancer is also provided under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY). Under AB PM-JAY, cancer-related treatment is provided under three heads Oncology – Medical, Surgical and Radiation. The number of treatment packages and procedures for treatment of Cancer in the national Health Benefit Package (HBP) is as follows:

Sl. No.	Speciality	No. of packages	No. of procedures
1.	Medical Oncology	76	288
2.	Radiation Oncology	20	53
3.	Surgical Oncology	81	166
4.	Palliative Medicine	42	42

Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment (AMRIT), a novel initiative launched by the Ministry of Health & Family Welfare aims to provide affordable medicines for treatment of cancer, cardio vascular and other diseases.

Presently, there are 217 AMRIT Pharmacies spread across 29 States/Union Territories, selling more than 5200 drugs for cardiovascular, cancer, diabetes, stents, implants, surgical disposables, and other consumables, including 289 Oncology drugs at a significant discount of up to 50% on market rates.

As on 15th November 2024, total 559 Lakh patients have benefitted from AMRIT Pharmacies with a savings of Rs. 6,064 Crores thereby reducing their out of pocket expenditure.

Annexure - I

Sl. No.	Regional Cancer Centre	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 *
1.	Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, West Bengal	-	1	0.80	-
2.	Dr. B.R.A. Indian Rotary Cancer Institute, (AIIMS), New Delhi	178	90	144.04	32.43
3.	Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh	-	24.10	15	-
4.	Sher-I- Kashmir Institute of Medical Sciences, Soura, Srinagar	31	-	-	-
5.	Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram, Kerala	2	-	-	-
6.	MNJ Institute of Oncology, Hyderabad, Andhra Pradesh	-	-	9.65	-
7.	Tata Memorial Hospital, Mumbai, Maharashtra	101	-	-	-
8.	Acharya Tulsi Regional Cancer Trust & Research Institute (RCC), Bikaner, Rajasthan	3.75	-	-	-

*As on 28.11.2024

(in Rs. Lakh)

Annexure - II

Statement Showing Balance Amount Payable under TCCC Scheme of NP-NCD (erstwhile NPCDCS)										
S No.	State	Name of the Institute	SCI/ TCCC	Amount recommend- ed by Standing Committee	Central Share	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	(Rs in Crore)
1	Assam	Guwahati Medical College & Hospital, Guwahati	SCI	119.9	107.91			15.5675		96.5
2	Andhra Pradesh	Kurnool Medical College, Kurnool	SCI	120	72					54
3	Bihar	Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna	SCI	120	72	35.9627				69.0227
4	Chhattisgarh	Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur	SCI	115.2	69.12					51.8377
5	Delhi	Lok Nayak Hospital	TCCC	39.82	39.82		8.8448			38.7148
6	Goa	Goa Medical College, Panaji	TCCC	45	27					20.25
7	Gujarat	Gujarat Cancer Research Institute, Ahmedabad	SCI	120	72		4.5			72
8	Himachal Pradesh	Indira Gandhi Medical College, Shimla	TCCC	45	40.5			25.63		40.5
9		Shri Lal Bahadur Shastri Medical College, Mandi	TCCC	45	40.5					29.6362
10	Haryana	Civil Hospital, Ambala Cantt	TCCC	45	27		6.75			27
11	Jammu & Kashmir	Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar	SCI	120	108	27.00				74.25
12		Government Medical College, Jammu	SCI	104	93.6					70.2028
13	Jharkhand	Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi	SCI	51	30.6					22.95

14	Karnataka	Kidwai Memorial Institute of Oncology (RCC), Bengaluru	SCI	120	72					67.5
15		Mandy Institute of Medical Sciences, Mandy	TCCC	45	27					17.257
16	Kerala	Government Medical College, Kozhikode	TCCC	44.5	26.7			1.67		26.7
17		Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram	SCI	102.35	61.41		14.453			61.41
18	Mizoram	Civil Hospital, Aizawl	TCCC	44.27	39.843		15.203			39.843
19	Maharashtra	Rashtrasant Tukdoji Regional Cancer Hospital & Research Centre, Nagpur	TCCC	44.991	26.9946			6.8186		26.9946
20		Government Medical College, Aurangabad	SCI	96.7	58.02		14.505			58.02
21		Vivekanand Foundation & Research Centre, Latur	TCCC	45	27			6.7415		27
22	Madhya Pradesh	Netaji Subhas Chandra Bose Medical College, Jabalpur	SCI	120	72					54.001
23		G.R. Medical College, Gwalior	TCCC	42	25.2					18.9
24	Nagaland	District Hospital, Kohima	TCCC	43.5	39.15		19.4			32.63
25	Odisha	Acharya Harihar Regional Cancer Centre, Cuttack	SCI	79.62	47.772		11.943			47.772
26	Punjab	Government Medical College, Amritsar	SCI	114.61	68.766				4.2965	55.8765
27		Civil Hospital, Fazilka	TCCC	44.71	26.826					20.119
28	Rajasthan	S P Medical College, Bikaner	TCCC	45	27		9.877			27
29		SMS Medical College, Jaipur	SCI	119.25	71.55	16.9819				61.7896
30		Jhalawar Medical College & Hospital, Jhalawar	TCCC	43.9	26.34					19.755
31	Tamil Nadu	Cancer Institute (RCC), Adyar, Chennai	SCI	120	72	4.62				72
32	Telangana	MNJ Institute of Oncology & RCC, Hyderabad	SCI	112.7	67.62	22.3515			16.9051	67.62
33	Tripura	Cancer Hospital (RCC), Agartala	SCI	81.5	73.35	18.35				73.35

34	Sikkim	Multispecialty Hospital at Sochygang (Sichey), near Gangtok, Sikkim	TCCC	42.99	38.691	4.371				38.691
35	Uttarakhand	Government Medical College, Haldwani	SCI	103.6565	93.29085					69.967
36	Uttar Pradesh	Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow	TCCC	45	27	7.245	3.5157	3.2343		25.425
37		Government Medical College, Burdwan	TCCC	39.54	23.724					22.24
38		Murshidabad Medical College & Hospital, Berhampore, Murshidabad	TCCC	32.15	19.29					10.9843
39		Sagore Dutta Memorial Medical College and Hospital, Kolkata	TCCC	45	27			6.75		27
	Total (TCCC/SCI)			2907.8575	1985.58745	136.8821	108.9915	66.4119	21.2016	1736.7092

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *81

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को जारी की गई धनराशि

*81 श्री एम. शनमुगम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार और केंद्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कैंसर की रोकथाम और शीघ्र उपचार के लिए कोई जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादातर रोगियों का समय पर इलाज हो सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आम लोगों के लिए वहनीय, किफायती मूल्य पर, कैंसर के उपचार की दवाओं और चिकित्सा प्रक्रियाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कैंसर से पीड़ित गरीब रोगियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष, जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि अम्बेला स्कीम का घटक है, से 15 लाख रुपए तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों, राज्य कैंसर संस्थानों और कैंसर उपचार सुविधा वाले अन्य सरकारी अस्पतालों/ संस्थानों में रोगियों के इलाज के लिए प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्बेला स्कीम के स्वास्थ्य मंत्री कैंसर कोष घटक के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को गरीब मरीजों के उपचार के लिए जारी धनराशि का वर्षवार और केंद्रवार व्यौरा अनुलग्नक। पर है:

केंद्र सरकार विशिष्ट स्तर पर कैंसर परिचर्या सुविधा केंद्रों को बढ़ाने के लिए गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र सुविधा केंद्रों को सुदृढ़ करने की योजना को भी लागू करती है। इस योजना के तहत 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्रों (टीसीसीसी) को मंजूरी दी गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों की स्थिति अनुलग्नक-II पर दी गई है।

(ख): इस संबंध में जागरूकता सृजित के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग (एनपी-एनसीडी) निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अवसंरचना सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए उचित स्तर की स्वास्थ्य सेवा सुविधा के लिए रेफरल और तीन सामान्य कैंसर (स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मुंह का कैंसर) सहित अन्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन करने पर अभिकेंद्रित है।

एनएचएम के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में तीन सामान्य कैंसर (स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मुंह का कैंसर) सहित सामान्य एनसीडी की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इन सामान्य एनसीडी की जांच इस सेवा कार्य का अभिन्न अंग है। कैंसर सहित एनसीडी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आगे की पहलों में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाना, निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल है। एनपी-एनसीडी राज्यों/संघ राज्य केंद्रों द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार गैर-संचारी रोगों के लिए जागरूकता सृजन कार्यकलापों के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता देता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएआई) के ईट राइट इंडिया अभियान के माध्यम से स्वस्थकर भोजन को बढ़ावा दिया जाता है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान को क्रियान्वित किया जाता है, तथा आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

(ग): राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है। अनुसूचित दवाओं (ब्रांडेड या जेनेरिक) के सभी निर्माताओं को अपने उत्पादों को एनपीपीए द्वारा तय की गई अधिकतम कीमत (साथ ही लागू माल और सेवा कर) के भीतर बेचना होता है। इसके अलावा, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर सालाना संशोधित किया जाता है। गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मामले में, एक निर्माता अपने द्वारा आरंभ किए गए गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन, ब्रांडेड या जेनेरिक, का अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के निर्माताओं को ऐसे फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रति वर्ष 10% से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं है।

एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची I (एनएलईएम 2015 और 2022 के तहत) में शामिल 131 कैंसर रोधी अनुसूचित फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें तय की हैं, जिनमें से 120 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें एनएलईएम 2022 के तहत तय की गई हैं (जिसमें बेंडामुस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 100 एमजी, लेनालिडोमाइड कैप्सूल 25 एमजी और 5 एमजी आदि जैसे नए जोड़े गए फॉर्मूलेशन शामिल हैं)। इसके परिणामस्वरूप एनएलईएम 2015 के तहत मौजूदा अधिकतम मूल्य से लगभग 21.06% की कमी आई है, जिससे रोगियों को लगभग 294.34 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है।

एनपीपीए ने दिनांक 28 नवम्बर, 2024 तक 28 कैंसर रोधी दवाओं के खुदरा मूल्य भी निर्धारित किए हैं, जो आवेदक विनिर्माण एवं विपणन कंपनी पर लागू होंगे।

इसके अलावा, एनपीपीए ने 27 फरवरी, 2019 के आदेश सा.आ.1041 (अ) के तहत 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण' दृष्टिकोण के तहत 42 चयनित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की सीमा तय की। इस दृष्टिकोण से, इन दवाओं के 526 ब्रांडों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में 90% तक की कमी की गई। इसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 984 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने क्रमशः अधिसूचना 30/2024 दिनांक 23.07.2024 (क्रम संख्या III (iv)) और अधिसूचना संख्या 05/2024 दिनांक 08.10.2024 के तहत तीन कैंसर रोधी दवाओं, अर्थात् ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालिमैब के लिए सीमा शुल्क को शून्य कर दिया है और जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। तदनुसार, एनपीपीए द्वारा दिनांक 28.10.2024 को

कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कंपनियों को जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण एमआरपी को कम करने का निर्देश दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को कम करों और शुल्कों का लाभ दिया जा सके।

डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अनुसार, एनपीपीए कैंसर रोधी फार्मूलेशन सहित सभी गैर-अनुसूचित फार्मूलेशन के एमआरपी की निगरानी भी करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निर्माता पिछले 12 महीनों के दौरान किसी दवा के एमआरपी में एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि न करे। डीपीसीओ, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एनपीपीए द्वारा अधिक कीमत वसूलने के मामलों से निपटा जाता है।

जिन फार्मूलेशनों की कीमतें एनपीपीए द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनके लिए सभी मूल्य अधिसूचनाएं एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत कैंसर का इलाज भी कराया जाता है। एबी पीएम-जेएवाई के तहत, कैंसर से संबंधित उपचार तीन प्रमुख ऑन्कोलॉजी - मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन के तहत प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) में कैंसर के इलाज के लिए उपचार पैकेज और प्रक्रियाओं की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	विशिष्टता	पैकेजों की संख्या	प्रक्रियाओं की संख्या
1.	मेडिकल ऑन्कोलॉजी	76	288
2.	रेडिएशन ऑन्कोलॉजी	20	53
3.	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	81	166
4.	उपशामक चिकित्सा	42	42

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई पहल, उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय इम्प्लांट (अमृत) का उद्देश्य कैंसर, हृदयवाहिका और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में, 29 राज्यों/संघ राज्य थेट्रों में 217 अमृत फार्मेसियां हैं, जो 289 ऑन्कोलॉजी दवाओं सहित हृदयवाहिका, कैंसर, मधुमेह, स्टेंट, इम्प्लांट, सर्जिकल डिस्पोजेबल और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के लिए 5200 से अधिक दवाएं बेच रही हैं, जो बाजार मूल्य पर 50% तक की महत्वपूर्ण छूट पर उपलब्ध हैं।

दिनांक 15 नवंबर 2024 तक कुल 559 लाख मरीज अमृत फार्मेसियों से लाभान्वित हुए हैं, जिससे 6,064 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिससे उनकी जेब से होने वाला खर्च कम हुआ है।

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कैंसर केंद्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	-	1	0.80	-
2.	डॉ. बी.आर.ए. भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, (एम्स), नई दिल्ली	178	90	144.04	32.43
3.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़	-	24.10	15	-
4.	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सौरा, श्रीनगर	31	-	-	-
5.	क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल	2	-	-	-
6.	एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	-	-	9.65	-
7.	टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई, महाराष्ट्र	101	-	-	-
8.	आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट एवं अनुसंधान संस्थान (आरसीसी), बीकानेर, राजस्थान	3.75	-	-	-

*दिनांक 28.11.2024 की स्थिति के अनुसार

(लाख रूपए में)

एनपी-एनसीडी (पूर्ववर्ती एनपीसीडीसीएस) की टीसीसीसी योजना के अंतर्गत देय शेष राशि दर्शने वाला विवरण										
क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	एससीआई/ टीसीसीसी	स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित राशि	केंद्रीय अंशदान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	(करोड़ रुपए में)
1	असम	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गुवाहाटी	एससीआई	119.9	107.91			15.5675		96.5
2	आंध्र प्रदेश	कुरनूल मेडिकल कॉलेज, कुरनूल	एससीआई	120	72					54
3	बिहार	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	एससीआई	120	72	35.9627				69.0227
4	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर	एससीआई	115.2	69.12					51.8377
5	दिल्ली	लोक नायक अस्पताल	टीसीसीसी	39.82	39.82		8.8448			38.7148
6	गोवा	गोवा मेडिकल कॉलेज, पणजी	टीसीसीसी	45	27					20.25
7	गुजरात	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	एससीआई	120	72		4.5			72
8	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला	टीसीसीसी	45	40.5			25.63		40.5
9		श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, मंडी	टीसीसीसी	45	40.5					29.6362
10	हरियाणा	सिविल अस्पताल, अंबाला कैट	टीसीसीसी	45	27		6.75			27
11	जम्मू एवं कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर	एससीआई	120	108	27.00				74.25
12		सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू	एससीआई	104	93.6					70.2028
13	झारखण्ड	राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची	एससीआई	51	30.6					22.95
14	कर्नाटक	किंदवई मेमोरियल ऑन्कोलॉजी संस्थान (आरसीसी), बेंगलुरु	एससीआई	120	72					67.5
15		मंड्या आयुर्विज्ञान संस्थान, मंड्या	टीसीसीसी	45	27					17.257
16	केरल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड	टीसीसीसी	44.5	26.7			1.67		26.7
17		क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरुवनंतपुरम	एससीआई	102.35	61.41		14.453			61.41
18	मिजोरम	सिविल अस्पताल, आइजोल	टीसीसीसी	44.27	39.843		15.203			39.843
19	महाराष्ट्र	राष्ट्र संत तुकडोजी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, नागपुर	टीसीसीसी	44.991	26.9946			6.8186		26.9946
20		सरकारी मेडिकल कॉलेज, एससीआई	एससीआई	96.7	58.02		14.505			58.02

		औरंगाबाद								
21		विवेकानंद फाउंडेशन एवं अनुसंधान केंद्र, लातूर	टीसीसीसी	45	27			6.7415		27
22	मध्य प्रदेश	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	एससीआई	120	72					54.001
23		जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	टीसीसीसी	42	25.2					18.9
24	नगालैंड	जिला अस्पताल, कोहिमा	टीसीसीसी	43.5	39.15		19.4			32.63
25	ओडिशा	आचार्य हरिहर थेट्रीय कैंसर केंद्र, कटक	एससीआई	79.62	47.772		11.943			47.772
26	पंजाब	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर	एससीआई	114.61	68.766			4.2965		55.8765
27		सिविल अस्पताल, फाजिल्का	टीसीसीसी	44.71	26.826					20.119
28	राजस्थान	एस पी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	टीसीसीसी	45	27		9.877			27
29		एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	एससीआई	119.25	71.55	16.9819				61.7896
30		झालावाड मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, झालावाड	टीसीसीसी	43.9	26.34					19.755
31	तमिलना डु	कैंसर संस्थान (आरसीसी), अड्डार, चेन्नई	एससीआई	120	72	4.62				72
32	तेलंगाना	एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी और आरसीसी, हैदराबाद	एससीआई	112.7	67.62	22.3515		16.9051		67.62
33	त्रिपुरा	कैंसर अस्पताल (आरसीसी), अगरतला	एससीआई	81.5	73.35	18.35				73.35
34	सिक्किम	मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, सोचीगंग (सिची) सिक्किम, गंगटोक के पास	टीसीसीसी	42.99	38.691	4.371				38.691
35	उत्तराखण्ड	सरकारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	एससीआई	103.6565	93.29085					69.967
36	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी न्यातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	टीसीसीसी	45	27	7.245	3.5157	3.2343		25.425
37	पश्चिम बंगाल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, बर्दवान	टीसीसीसी	39.54	23.724					22.24
38		मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बरहामपुर, मुर्शिदाबाद	टीसीसीसी	32.15	19.29					10.9843
39		सागोर दत्ता मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता	टीसीसीसी	45	27			6.75		27
	कुल (टीसीसीसी/एससीआई)			2907.8575	1985.58745	136.8821	108.9915	66.4119	21.2016	1736.7092

श्री उपसभापति : माननीय श्री मिलिंद मुरली देवड़ा जी, क्वेश्चन पूछने वाले सदस्य नहीं हैं, इसलिए first supplementary question goes to you.

श्री मिलिंद मुरली देवड़ा : सर, क्वेश्चन से ज्यादा I have a suggestion to the hon. Minister, since the question is linked to cancer. Sir, sugar is the new tobacco, sugar is a silent killer, sugar is causing obesity, cancer, especially in young children. Many parents around the country are being forced to buy products with high sugar under the garb of it being healthy. There was a controversy recently with Bournvita and world over, Governments and authorities and the regulators are trying to take this problem head on. My very limited suggestion to the very knowledgeable Minister would be that Singapore is one of the few countries which seems to have got this right. They have a very simple nutritional code on every product. They mark a product in large letters from A to D, A being the healthiest for the parent, D being the unhealthiest. My simple request would be if the Minister could kindly ask the FSSAI, which is the regulator in this area, to kindly look at global models to implement the same in India, so that we could prevent an obesity and cancer epidemic in young children. Thank you.

श्री उपसभापति : यह आपका सुझाव है। माननीय मंत्री जी, प्लीज।

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The hon. Member has given a suggestion. I have taken the suggestion.

1.00 P.M.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Sir, the Proton Treatment for Cancer is now becoming a costly one. What measures are taken by the Union Government to facilitate Proton Treatment for cancer to common people?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : सर, समय कम है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत ... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over, hon. Minister. Now, before lunch, a statement by Minister correcting answer to Question. Shri Sarbananda Sonowal.